

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०- 4175 पटना, दिनांक - 18-4-11

विभागीय संकल्प सं०-460 दिनांक 19.01.10 सहपठित शुद्धि पत्र सं०-592 दिनांक 25.01.2010 तथा संकल्प सं०-2907 दिनांक 26.03.10 के आलोक में अंतरिम/कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्थानापन्न प्रभार देते हुये श्री मोहन कुमार यादव (ID-No-RDD/000586, गृह जिला-पश्चिम चम्पारण, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी) जो पदस्थापन की प्रतीक्षा में है, को भभुआ अनुमंडल (कैमूर) में कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

3. उक्त पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की शर्तें उपर्युक्त उल्लिखित संकल्प के आलोक में होगी।

4. कार्यावधि की समाप्ति के उपरांत उपरोक्त प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

5. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने वेतनमान में ही कार्य करेंगे तथा उन्हें बिहार सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा।

6. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अविलंब नवपदस्थापन स्थान पर योगदान निश्चित रूप से देंगे एवं योगदान प्रतिवेदन विभाग को भेजेंगे। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी माह अप्रैल, 2011 का वेतन आदि एवं बकाया वेतन नवप्रतिनियुक्त स्थान से ही प्राप्त करेंगे।

7. कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति अलग से प्रदत्त की जायेगी।

8. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन के नियंत्री पदाधिकारी नवपदस्थापित जिला के जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा नवपदस्थापित स्थान से संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को सेवापुस्त प्राप्त होने पर अपने अधीनस्थ कार्यालय में संधारित करेंगे।

9. पदस्थापन प्रस्ताव में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के अपर सचिव

जापांक:- 4175

दिनांक:- 18-4-11

ग्रा०वि० - 2/स्था०-1-02/10

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० के साथ (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

जापांक:- 4175

दिनांक:- 18-4-11

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा, निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

जापांक:- 4175दिनांक:- 18-4-11

प्रतिलिपि- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/ आयुक्त, पटना प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी, कैमूर / पूर्वी चम्पारण/ उप विकास आयुक्त, कैमूर / पूर्वी चम्पारण / कोषागार पदाधिकारी, कैमूर/श्री मोहन कुमार यादव (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) / ग्रामीण विकास विभाग के प्रशाखा-2/ग्रामीण विकास विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारियों, कैमूर से अनुरोध है कि अपने नियंत्री पदाधिकारियों के पदस्थापन की सूचना आज ही अपने स्तर से उपलब्ध कराना एवं अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

3. जिला पदाधिकारी, कैमूर से अनुरोध है कि स्थानांतरण से संबंधित विभागीय अधिसूचना वेबसाईट- www.rdd.bih.nic.in /सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है इसे आज ही डाउनलोड कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।


4. संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि आदेश का अनुपालन कराकर विभाग को अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।



सरकार के अपर सचिव

जापांक:- 4175दिनांक:- 18-4-11

प्रतिलिपि- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/श्री प्रिय नवीन, आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव